भारत
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 423189

मुद्रांक पत्र मूल्य रूपये 40,000/- बाजार मूल्य रूपये 5,00,000/-

//-श्री-//

//- विनिमय-पत्र-//

यह विनिमय-पत्र,

श्री दिनेशकुमार पिता श्री गिरधारीलालजी खण्डेलवाल, उम्र -- वर्ष,
निवासी 48, साजन नगर, इंदौर,
मध्यप्रदेश ------ प्रथमपक्ष

एवम्

श्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल पिता श्री जगन्नाथ जी, उम्र 63 वर्ष
निवासी 48, साजन नगर, इन्दौर,
मध्यप्रदेश ------ द्वितियपक्ष

के मध्य निम्नानुसार निष्पादित कर पंजीयत कराया जाता है कि :-

अविरत 2

मधुबाला जैन

—: [illegible] :—

महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर (म. प्र.)

260000

260000

18.1.8

2/40

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत INDIA सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (((-2-))) D 423190

1. यह कि प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान शहर इंदौर के "साजन नगर" इंदौर यहां स्थित भूखण्ड कमांक 48 व उस पर निर्मित है। यह मकान प्रथमपक्ष ने जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज नंबर 1अ/4565 दिनांक 28/6/1972 के द्वारा भूखण्ड कय करके निर्मित कराया हैं। सदर मकान के भू-भाग की साईज लम्बाई 60 फीट व चौडाई 40 फीट होकर कुल क्षैत्रफल 2400 वर्गफीट अर्थात 223.04 वर्गमीटर है जिस पर तल मंजिल पर 1400 वर्गफीट अर्थात 130.11 वर्गमीटर एवं प्रथम मंजिल पर 1200 वर्गफीट अर्थात 111.52 वर्गमीटर क्षेत्र में पक्का आर0सी0सी0 से मकान निर्मित है व शेष खुला है। सदर मकान के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था पश्चिम दिशा की और स्थित सडक से है। सदर मकान आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। यह मकान करीब 30 वर्ष पुराना निर्मित हैं। सदर मकान की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	–	10 फीट की गली बाद ब्लाक नंबर 49
पश्चिम में	–	कॉलोनी की सड़क
उत्तर में	–	30 फीट की रोड़
दक्षिण में	–	ब्लाक नंबर 50

अविरत 3

(1) पक्ष / विनोद कुमार / पिता गोपाल [illegible]

अखिलेश वाला 354

[illegible] [illegible] इन्दौर

(2) पक्ष / गिरधारी लाल [illegible]

[illegible] अखिलेश वाला

354 [illegible]

(3) [illegible] [illegible] इन्दौर

म[illegible]ला जैन

— [illegible] —

महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर (म. प्र.)

वकील श्री [illegible] पटेल

[illegible]

प्रमाणित श्री [illegible] [illegible]

2 [illegible]

[illegible]

21.5 इन्दौर

10.01.08

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (((-3-))) D 423191

2. यह कि, द्वितीयपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का गोदाम शहर इंदौर के "चिताबद" इंदौर यहां स्थित भूखण्ड सर्वे नंबर 205/1 व 2 पैकि भूखण्ड कमांक 1 व उस पर निर्मित है। यह गोदाम द्वितीयपक्ष ने जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज नंबर 1अ/14490 दिनांक 30/12/1978 के द्वारा भूखण्ड कय करके निर्मित कराया हैं। सदर गोदाम के भू–भाग की साईज 60 फीट गुणित 100.6 फीट कुल क्षेत्रफल 6030 वर्गफीट अर्थात 560.20 वर्गमीटर है । इसमें निर्मित चद्दर छत का करीब 25 वर्ष पुराना निर्मित होकर निर्मित क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट अर्थात 464.51 वर्गमीटर है। यह गोदाम उपयोग का है। सदर संपत्ति की चतुःसीमा निम्नानुसार है :–

पूर्व में	–	श्री भगवानदास जौहरी का मकान
पश्चिम में	–	श्री गोपालदास खण्डेलवाल की संपत्ति
उत्तर में	–	रोड़
दक्षिण में	--	नटराज दाल मिल

अविरत 4

18.1.8

18.1.8

गवाह

(1)

(2)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
FIFTY RUPEES
रु.50
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 423192

3. यह कि, प्रथमपक्ष एवं द्वितियपक्ष द्वारा अपने–अपने स्वामित्व की उक्त संपत्ति को इस विलेख के द्वारा, स्वेच्छा से, बगैर कोई आर्थिक प्रतिफल के, विनिमय किया है, इस विनिमय के फलस्वरूप आज दिनांक से प्रथमपक्ष इस लेख में चरण कमांक 2 में वर्णीत सम्पूर्ण संपत्ति (जिसे इस लेख में आगे ''संपत्ति–अ'' शब्द से उल्लेखित किया गया है) के एकमेव स्वामी हो चुके है, एवं द्वितियपक्ष इस लेख के चरण कमांक 1 में वर्णीत सम्पूर्ण संपत्ति (जिसे इस लेख मे आगे ''संपत्ति–ब'' शब्द से उल्लेखित किया गया है) के एकमेव स्वामी हो चुके है।

4. यह कि, प्रथमपक्ष द्वारा ''संपत्ति–ब'' का कब्जा द्वितियपक्ष को एवं द्वितियपक्ष द्वारा ''संपत्ति–अ'' का कब्जा प्रथमपक्ष को मौके पर ले जाकर दे दिया गया है, एवं प्रथमपक्ष ने ''संपत्ति–अ'' पर एवं द्वितियपक्ष ने 'संपत्ति–ब'' पर अपना आधिपत्य कर लिया है, अब प्रत्येक पक्ष उसे विनिमय में प्राप्त संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग स्वयं की इच्छानुसार करेगे व करते जावेगे, इसमें कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को दखल न देगा।

5. यह कि, ''संपत्ति–अ'' पर द्वितियपक्ष को एवं उनके उत्तराधिकारीगण आदि को जो भी स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त थे वे सब इस लेख के द्वारा प्रथमपक्ष को प्राप्त होकर प्रथमपक्ष में वैष्टित हो चुके है।

अविरत 5

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 423193

6. यह कि, 'संपत्ति–ब'' पर प्रथमपक्ष को एवं उनके उत्तराधिकारीगण आदि को जो भी स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त थे, वह सब इस विलेख के द्वारा द्वितियपक्ष को प्राप्त होकर द्वितियपक्ष में वैष्टित हो चुके है।

7. यह कि, प्रत्येक पक्ष उसे विनिमय में प्राप्त संपत्ति पर स्वयं का नाम समस्त शासकिय, अर्द्ध शासकिय व अन्य कार्यालयों के रेकार्ड में अंकित करवा लेंगे, इस कार्यवाही में दोनो पक्ष आपस में सहयोग करेंगे ।

8. यह कि, 'संपत्ति–ब'' का जो भी टेक्स आदि देय होगा वह सब आज दिनांक तक का प्रथमपक्ष वहन करेगे व आज के पश्चात भुगतान करने का दायित्व द्वितियपक्ष का रहेगा।

9. यह कि, 'संपत्ति–अ'' का जो भी टेक्स आदि देय होगा वह सब आज दिनांक तक का द्वितियपक्ष वहन करेगे व आज के पश्चात भुगतान करने का दायित्व प्रथमपक्ष का रहेगा।

अविरत 5

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 423194

10. यह कि, "संपत्ति–अ" के स्वत्व एवं अधिकारो के संबंध में भविष्य में किसी ने कोई दावा या विवाद आदि किया तो उसका समस्त व्यय द्वितियपक्ष वहन करेंगे एवं इस संबंध में द्वितियपक्ष को कोई क्षति न होने देंगे ।

11. यह कि, "संपत्ति–ब" के स्वत्व एवं अधिकारो के संबंध में भविष्य में किसी ने कोई दावा या विवाद आदि किया तो उसका समस्त व्यय प्रथमपक्ष वहन करेंगे एवं इस संबंध में प्रथमपक्ष, द्वितियपक्ष को कोई क्षति न होने देंगे ।

12. यह कि, इस विनिमय के पूर्व प्रथमपक्ष ने "संपत्ति–ब" पर कोई भार या बोझा नहीं किया है। यह दान, बिकी, गिरवी तथा उदरपोषण आदि के बोझ में नहीं है। एवं न ही इस पर शासन का, बैंक का या सहकारी संस्था आदि का कोई ऋण भार ही है। फिर भी यदि भविष्य में पाया गया तो उसका समस्त दायित्व प्रथमपक्ष पर रहेगा ।

अविरत 7

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 423191

13. यह कि, इस विनिमय के पूर्व द्वितियपक्ष ने "संपत्ति–अ" पर किसी प्रकार का कोई भार या बोझा नहीं किया है। यह दान, बिकी, गिरवी तथा उदरपोषण आदि के बोझ में नहीं है। एवं न ही इस पर शासन का, बैंक का या सहकारी संस्था आदि का कोई ऋण भार ही है। फिर भी भविष्य में पाया गया तो उसका समस्त दायित्व द्वितियपक्ष पर रहेगा ।

14. यह कि, इस विलेख में "प्रथमपक्ष" शब्द का अभिप्राय उनके निष्पादक, असाईनीज, वैध उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि आदि से भी है। एवं इसी प्रकार से "द्वितियपक्ष" शब्द का उल्लेख किया गया है, इस शब्द में उनके निष्पादक, असाईनिज, वैध उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि आदि समनिहित है।

अविरत 8

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH (((-8-))) D 423196

यह विनिमय–पत्र उभयपक्ष द्वारा आपस में स्वेच्छा से निष्पादित कर दिया है। तथा इस लेख को पढ़कर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये ताकि प्रमाण रहे।

इति

दिनांक : 18/1/08

इन्दौर,

प्रथमपक्ष

साक्ष्य :

1–हस्ताक्षर

नाम :–

पिता / पति का नाम :

पता :–

द्वितियपक्ष

2–हस्ताक्षर

नाम :–

पिता / पति का नाम :

पता :–

उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार तथा पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो प्रतियो के आधार पर मेरे द्वारा केवल प्रारूपित किया गया है। पक्षकारों एवं गवाह की पहचान एवं संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है।

एडव्होकेट

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 423197

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 406101

19-3-8

85

7661104

2091 (14)

20

46146

98

1

46170

A/c ...
19.03.08

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 613656

प्रथमपक्ष - श्री दिनेशकुमार खण्डेलवाल

द्वितीयपक्ष - श्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल

04
1094
19-3-8

4750000/-

459500/-